

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 340 / स्था. / प्रशा. / 2021

बिलासपुर, दिनांक 07/06/2021

// विज्ञप्ति //

विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्र. 272 दिनांक 23.03.2021 में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण रिक्तियों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार अतिथि शिक्षकों की नितांत अस्थायी रूप से आवश्यकता है।

क्र.	विषय	C.A.M. के तहत आवश्यकता	वर्ग			
			UR	ST	SC	OBC
1	Commerce	2	-	1	1	-
2	Education	2	-	1	1	-
3	English	2	1	1	-	-
4	Management	1	-	1	-	-
5	Maths	1	-	1	-	-
6	Political Sci.	2	-	1	-	1
7	Sanskrit	3	1	1	1	-
8	Social Work	1	-	1	-	-
9	Sociology	1	-	-	-	1
Total		15	2	8	3	2

उपरोक्तानुसार विषयों पर अतिथि शिक्षक नियुक्ति हेतु दिनांक 29.06.2021 के साथ 04:00 बजे तक विश्वविद्यालय में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता UGC/NCTE नॉर्मस के अनुसार होगा। आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार होगा जिसमें महिला एवं निशक्तजनों का आरक्षण शामिल होगा।

मानदेय :- राज्य शासन के नियमानुसार देय होगा।

टीप :- मुक्त विश्वविद्यालय के SLM विकास एवं काऊंसलिंग का अनुभव रखने वाले इसके बाद सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.pssou.ac.in पर देख सकते हैं।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

आदेशानुसार
कुलसचिव

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 339 / रथा. / प्रशा. / 2021

बिलासपुर, दिनांक 07/06/2021

// विज्ञप्ति //

विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्र. 271/1 दिनांक 23.03.2021 में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण रिक्तियों की पूर्ती हेतु निम्नानुसार अतिथि शिक्षकों की नितांत अस्थायी रूप से आवश्यकता है।

क्र	विषय	स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता	वर्ग			
			UR	ST	SC	OBC
1	Chemistry	1	1	-	-	-
2	Education	2	-	1	-	1
3	Maths	1	-	1	-	-
4	Zoology	1	1	-	-	-
Total		05	2	2	0	1


उपरोक्तानुसार विषयों पर अतिथि शिक्षक नियुक्ति हेतु दिनांक 29.06.2021 के साथ 04:00 बजे तक विश्वविद्यालय में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता UGC/NCTE नॉर्गस के अनुसार होगा। आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार होगा। जिसमें महिला एवं निशचतजनों का आरक्षण शामिल होगा।

मानदेय :- राज्य शासन के नियमानुसार देय होगा।

टीप :- शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों को अतिथि शिक्षक हेतु पृथक संवर्ग मानकर आरक्षण लागू किया गया है। मुक्त विश्वविद्यालय के SLM विकास एवं कार्रसलिंग का अनुभव रखने वाले, इसके बाद सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.pssou.ac.in पर देख सकते हैं।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

आवेदानुसार


कुलसचिव